न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 54/2024 (GCMS No. 2024/62) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ऊदा पुत्र ग्यासी जाति जाट निवासी सिकरोरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार कुम्हेर।

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 31.08.2007 मुकदमा नं. 66/2007 उनवानी ऊदा बनाम राजस्थान सरकार।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री महाराज सिंह, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य **दिनांक : 24.04.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 31.08.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट को वांके ग्राम सिकरोरा तहसील कुम्हेर की आराजी खसरा नम्बर 363 रकवा 0.16 गैरमुमकिन रास्ता में से 0.01 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने एवं अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को अपील पेश की। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने दिनांक 31.08.2007 को अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलार्थी की 3 माह की सजा को कम कर एक माह की सजा के आदेश पारित कर दिया गया, जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी आबादी की संज्ञा में आती है जो अपीलार्थी की पुश्तैनी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। आबादी भूमि पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही का अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलार्थी ने राजकीय भमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उनका निर्माण अपनी स्वयं की मिल्कीयत भूमि पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे व बिना पैमाईश कराये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। सिविल कारावास का दण्ड एक अत्यन्त कठोरतम दण्ड है जो साधारण परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्व में अतिक्रमण का अभिलेख/तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा निर्माण पंचायत की मंजूरी लेकर किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 31.08.2007 व नायब तहसीलदार कुम्हेर का आदेश दिनांक 18.08.2007 निरस्त किये जावें।
4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा सम्वत् 2064 में आराजी खसरा नम्बर 363 रकवा 0.16 में से रकवा 0.01 में पक्की दीवार व गैतवाडा बनाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को पेश की। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी ऊदा पुत्र ग्यारसी को नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी द्वारा दिनांक 25.07.2007 को अपना जबाब प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण एकतरफा कार्यवाही अतिक्रमी के विरूद्व अमल में लाई गई और तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली व पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश से सिविल कारावासकी अवधि तीन माह के स्थान पर एक माह करने के आदेश पारित किये गये। पटवारी हल्का के बयान लिये गये जिसमें अतिक्रमण एवं पूर्व अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। अपीलांट द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिक्रमण नहीं करने की पुष्टि होती हो और न ही बाउण्ड्रीवाल बनाने की पंचायत की मंजूरी आदि पेश की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैरमुमकिन रास्ता पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। उक्त भूमि प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कोई स्वत्व अतिक्रमी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप पारित किये गये है जिनमें हम किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपीलांट की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 31.08.2007 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर का निर्णय दिनांक 18.08.2007 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर